मध्यप्रदेश न्यायिक अधिकारी संघ, जिला इकाई–जबलपुर

मध्यप्रदेश न्यायिक अधिकारी संघ का अधिवेशन दिनांक 16/2/19 को तरंग ऑडीटोरियम, जबलपुर में आयोजित किया जाना तय हुआ है। उक्त अधिवेशन में सभी न्यायिक अधिकारीगण का सहयोग एवं योगदान अपेक्षित है। संघ के अधिवेशन एवं नवीन कार्यकारिणी के निर्वाचन हेतु सभी न्यायिक अधिकारीगण से विनम्र आग्रह है, कि वे सभी अधिवेशन की बैठक/निर्वाचन हेतु निम्नानुसार सहयोग राशि अपने–अपने जिला मुख्यालय के जिला इकाई के पदेन सचिव (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) के पास 03 फरवरी 2019 तक आवश्यक रूप से जमा करने का कष्ट करें, जिससे समय पर अधिवेशन की समस्त कार्यवाहियॉं की जा सकें :–

1– अधिवेशन में भाग लेने के लिए जबलपुर आ रहे न्यायिक अधिकारीगण अधिवेशन की सहयोग राशि 3000/– संबंधित जिला इकाई के पदेन सचिव (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) के पास जमा कराने का कष्ट करें। ऐसे न्यायिक अधिकारीगण के रुकने की व्यवस्था एवं रेल्वे स्टेशन से होटल तक व होटल से अधिवेशन स्थल तक आने–जाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी की जाएगी।

2– ऐसे न्यायिक अधिकारीगण, जिन्हें जबलपुर में ठहरने के लिए स्थान एवं वाहन की आवश्यकता नहीं है एवं ऐसे न्यायिक अधिकारीगण, जो अधिवेशन में भाग लेने हेतु जबलपुर नहीं आ पा रहे हैं, वे भी आवश्यक रूप से सहयोग राशि जिला इकाई के पदेन सचिव (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) के पास 1500/– रूपये जमा कराने का कष्ट करें।

3– सभी न्यायिक अधिकारीगण से विनम्र अनुरोध है, कि वे उक्त सहयोग राशि आवश्यक रूप से दिनांक 03 फरवरी 2019 तक अपने–अपने जिला इकाई के पदेन सचिव (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) के पास अधिवेशन में भाग लेने की सहमति/असहमति एवं जबलपुर आने–जाने की पूर्ण विवरण के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

4– उन न्यायिक अधिकारीगण के जिन्होंने 3,000/– रूपए की सहयोग राशि जमा की है उनके ठहरने की व्यवस्था दिनांक 15.02.19 की सायंकाल से दिनांक 16.02.19 की सायंकाल तक की गयी है।

5– संघ के द्वारा दिनांक 16.02.2019 को **सुबह के नाश्ते, दोपहर के लंच एवं शाम की हाई–टी** की व्यवस्था अधिवेशन तरंग ऑडीटोरियम पर ही की गयी है।

6– सभी जिला इकाईयों के पदेन अध्यक्ष (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) एवं पदेन सचिव (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) से अनुरोध

है, कि वे अपने–अपने जिले एवं तहसील मुख्यालय में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारीगण को इस संबंध में सूचित कर उनकी सहयोग राशि एवं कार्यक्रम में आने–जाने के समय की जानकारी के साथ विस्तृत सूची जिला इकाई जबलपुर के पदेन सचिव (श्री आनंद जाम्भुलकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर) को प्रेषित करने का कष्ट करें तथा एकत्रित की गयी सहयोग राशि का पूर्ण विवरण देते हुए उक्त सहयोग राशि यूनियन बैंक उच्च न्यायालय शाखा स्थित **मध्यप्रदेश न्यायाधीश संघ, जिला–इकाई जबलपुर के खाता क्रमांक 519301010010303 IFSC Code UBINO551937** में जमा करवाकर उसकी जमा–पर्ची एवं उक्त सूची जिला इकाई जबलपुर के पदेन सचिव (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर) श्री आनंद जाम्भुलकर के वाट्स–अप नंबर 9425005302 पर प्रेषित करेंगे या ई–मेल आई.डी. a.jambhulkar@mphc.in पर प्रेषित करने का कष्ट करें। राशि प्राप्त होने के उपरांत इसकी रसीद संबंधित जिला इकाई के पदेन सचिव (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) को प्रेषित कर दी जायेगी।

7– सभी न्यायिक अधिकारीगण से यह भी निवेदन है, कि यदि वे शासकीय वाहन से कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिये जबलपुर आते हैं, तो इस बात की पूर्व सूचना पदेन सचिव जिला इकाई जबलपुर के उपरोक्त मोबाइल फोन पर या वाट्स–अप पर देने का कष्ट करें, ताकि उन्हें उनके ठहरने के स्थान की विस्तृत जानकारी प्रेषित की जा सके।

8– यदि नवीन कार्यकारिणी के निर्वाचन में कोई भी न्यायिक अधिकारी अध्यक्ष या संघ की कार्यकारिणी के अन्य किसी भी पद के लिये निर्वाचन में बतौर प्रत्याशी खड़े होना चाहते हैं, तो वे भी इसकी सूचना 03 फरवरी 2019 तक अपने–अपने जिला इकाई के अध्यक्ष एवं पदेन सचिव के साथ–साथ पदेन सचिव जिला इकाई–जबलपुर को पत्र के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(चंद्रेश कुमार खरे) पदेन अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर	28.01.19 **(आनंद जाम्भुलकर)** पदेन सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर